

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, दिनांक 26 मार्च, 2024

सा.का.नि.(अ)- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 01/2024-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 15 जनवरी, 2024, जिसे सा.का.नि. 41(अ) दिनांक 15 जनवरी, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित गया था, में,-

- (i) पृष्ठ संख्या 2 पर, सारणी में, क्रम संख्या 1 में, कॉलम (9) में, 'मीट्रिक टन' के स्थान पर, 'किलोग्राम' पढ़ा जाए;
- (ii) पृष्ठ संख्या 2 पर, सारणी में, क्रम संख्या 2 में, कॉलम (9) में, 'मीट्रिक टन' के स्थान पर, 'किलोग्राम' पढ़ा जाए;
- (iii) पृष्ठ संख्या 2 पर, सारणी में, क्रम संख्या 3 में, कॉलम (9) में, 'मीट्रिक टन' के स्थान पर, 'किलोग्राम' पढ़ा जाए ।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/255/2023-टीआरयू]

(नितिश कर्नाटक)
अवर सचिव, भारत सरकार